संघ और उसके क्षेत्र

भाग–1 (Art 1 to 4)

- Article 1 (संघ का नाम और राज्यक्षेत्र)

(1) भारत, अर्थात् इंडिया "राज्यों का संघ" होगा।

राज्यों का संघ (मतलब):–भारतीय संविधान में "राज्यों का संघ" शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है जैसा कि अमेरिका का संविधान है। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नही है।

Note 1:- भारतीय संविधान में फेडरेशन (संघात्मक) शब्द का प्रयोग कही नहीं किया गया है।

Note 2:- हमारा देश विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है, जबकि अमेरिका अविभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है।

- Art 1 (2):- राज्य और उसके राज्यक्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- Art 1 (3):- भारत के राज्यक्षेत्र में,.....समाविष्ट होगें।
  (A) राज्य
  (B) संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्र शासित प्रदेश)
  (C) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाए।
- Art 2:-नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- Art 3:- नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
  Note 3:- Art 2+3 में संसद को शक्ति है।
- Art 4:- Art 2 और 3 में संसद द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो उसे Art 368 के अन्तर्गत संशोधन (संवैधानिक) नही मानेगे, अर्थात् Art 2 और 3 में किया गया संशोधन साधारण संशोधन होगा।
  Note 4:- Art 2+3 में परिवर्तन करने पर अनुसूची एक और चार में भी परिवर्तन होगा।
  Note 5:-(i) Art 3 के अन्तर्गत, कोई विधेयक जो राज्यों में परिवर्तन करता है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नही किया जायेगा।
  (ii) राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से पहले उस विधेयक को उस राज्य के पास भेजेगें, जिसमें परिवर्तन करना है।
- राज्यों का गठनः– इसके अन्तर्गत 3 आयोग के बारे में पढ़ना है।
  (1) एस.के.धर. आयोग (1948):– आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की एवं भारत में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बदले प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी।
  (2) JVP आयोग (दिसंबर 1948):– जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभि सीमारमैया (JVP) को मिलाकर एक अन्य भाषायी प्रात समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अप्रैल, 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की एवं भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषायी आधार को अस्वीकार कर दिया।

(3) फजल अली आयोग (1953):– तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके दो अन्य सदस्य–के.एम. पणिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की एवं कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर होना चाहिए।

Note 6:-फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के आधार का नकारा।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंन्द्र–शासित प्रदेशों का गठन किया गया।
- भाषायी आधार पर वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगू भाषायी क्षेत्रों को लेकर मद्रास में एक लम्बा आंदोलन चला। इस आंदोलन में 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात् एक कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु का निर्धन हो गया, परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ।

14 नये राज्य					
1.	असम	2.	बिहार	3.	बम्बई
4.	जम्मू कश्मीर	5.	पंजाब	6.	उत्तर प्रदेश
7.	मध्य प्रदेश	8.	केरल	9.	मद्रास
10.	मैसूर	11.	उड़ीसा	12.	पश्चिम बंगाल
13.	राजस्थान	14.	आन्ध्र प्रदेश		

6 केन्द्रशासित प्रदेश			
1.	दिल्ली	2.	हिमाचल प्रदेश
3.	मणिपुर	4.	त्रिपुरा
5.	अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह		
6.	लकादीव,मिनिकॉय और अमीनदीव द्वीप समूह		

- मूल संविधान में राज्यों को चार भागों में बाँटा गया था।

संघ और उसके राज्य क्षेत्र (मूल संविधान में वर्ष 1948)

संघ

भाग-A के राज्य ब्रिटिश भारतीय बड़े प्रांत 9 तथा 216 देशी रियासतें	भाग-B श्रेणी के राज्य छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य+275 देशी रियासतें	भाग–C श्रेणी के राज्य 61 देशी रियासतें	भाग-D श्रेणी
1. असम	1. हैदराबाद	1. अजमेर	1.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. बिहार	2. जम्मू–कश्मीर	2. भोपाल	2. अर्जित राज्य क्षेत्र
3.बम्बई	3. मध्य भारत	3. बिलासपुर	
4. मध्य प्रांत	4. मैसूर	4. कुच बिहार	

5. मद्रास	5. पटियालाप और पूर्वी पंजाब	5. कुर्ग
6. उड़ीसा	6. राजस्थान	6. दिल्ली
7. पंजाब	7. सौराष्ट्र	7. हिमाचल प्रदेश
8. संयुक्त प्रांत	8. त्रावणकोर–कोचीन	8. कच्छ
9. पश्चिम बंगाल		9. मणिपुर
		10. त्रिपुरा

- 35 वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य (Associate State) का दर्जा दिया गया था।
- 36 वें संविधान संशोधन, 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हैं।

देशी रियासतों का एकीकरण

1. 542 रियासतों में से 3 रियासतो जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।
2. ब्रिटिश भारत में 9 प्रान्त थे जबकि, देशी रियासतों की संख्या 600 थी। जिनमें से 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में शामिल हो गये।

केन्द्रशासित प्रदेशों के गठन के कारण

1. राजनीतिक व प्रशानिक कारण–दिल्ली एवं चंडीगढ़।
2. सांस्कृतिक भिन्नताएँ–पुद्दुचेरी, दादरा और नगर हवेली।
3. सामरिक महत्व– अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप।
4. पिछड़े एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल–मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व अरूणाचल प्रदेश। ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए।

- वर्ष 1973 तक लक्षद्वीप को लकादीव, मिनीकॉय एवं अमीनीदीव के नाम से जाना जाता था।

विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम से परिवर्तन		
1991	केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम	वर्तमान में तिरूवंनतपुरम
1996	तमिलनाडु की राजधानी मद्रास	वर्तमान में चेन्नई
1996	महाराष्ट्र की राजधानी बंबई	वर्तमान में मुंबई
2001	प. बंगाल की राजधानी कलकत्ता	वर्तमान में कोलकाता
2006	कर्नाटक की राजधानी बंगलौर	वर्तमान में बंगलुरू

- भारत के राज्यों एवं उसके स्थान की सही सूची का क्रम

1.	गुजरात	15 वाँ (1960)–बॉम्बे राज्य से अलग हुआ
2.	नागालैंण्ड	16 वाँ (1963)
3.	हरियाणा	17 वाँ (1966)
4.	हिमाचल प्रदेश	18 वाँ (1971)

5.	मणिपुर	19 वाँ (1972)
6.	त्रिपुरा	20 वाँ (1972)
7.	मेघालय	21 वाँ (1972)
8.	सिक्किम	22 वाँ (1975)
9.	मिजोरम	23 वाँ (1987)
10.	अरूणाचल प्रदेश	24 वाँ (1987)
11.	गोवा	25 वाँ (1987)
12.	छत्तीसगढ़	26 वाँ (1 नवम्बर, 2000)
13.	उत्तराखण्ड	27 वाँ (9 नवम्बर, 2000)
14.	झारखण्ड	28 वाँ (15 नवम्बर, 2000)
15.	तेलगांना	29 वाँ (2 जून, 2014)

Note 1:-आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के द्वारा ने आन्ध्र प्रदेश को 2 अलग राज्यों (आंन्ध्र प्रदेश व तेलगांना) में बाँट दिया।

Note 2:- आंध्र प्रदेश–मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को अगल कर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953 द्वारा निर्मित।

- केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन

(1) 1956 – अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

(2) 1956 – दिल्ली

(3) 1956 – लक्षद्वीप

(4) 1961 – दादरा और नगर हवेली

(5) 1962 – दमन एवं दीव

(6) 1954 – पुद्दुचेरी

(7) 1966 – चंडीगढ़

- **<u>जम्मू–कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम – 2019</u>**

05 अगस्त, 2019 को संसद ने अनुच्छेद–370 के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश एवं सरकार के संकल्प तथा जम्मू–कश्मीर पुनगर्ठन विधेयक को पारित करके जम्मू–कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों मे विभाजित कर दिया है। इस विधेयक पर 09 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है परन्तु यह अधिनियम सरदान पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर, 2019 (राष्ट्रीय एकता दिवस) से प्रभावी हुआ।